

(c) the further steps Government propose to take to help the educated unemployed in the backward district of Orissa?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): (a) and (b). All public sector banks have been endeavouring to create self-employment opportunities for the unemployed—both educated and uneducated—through increased credit deployment in the priority sectors of agriculture, small industry, small transport, retail trade and small business, professional and self-employed etc. The data reporting system, however, does not yield information regarding credit assistance by banks to educated unemployed as a separate category. The total number of borrowal accounts financed by the public sector banks in the priority sectors, which gives an indication of the increasing assistance flowing for self-employment ventures in Orissa, increased from 2.30 lakhs in December, 1977 to 3.20 lakhs in December, 1978 and further to 4.04 lakhs in December, 1979. The outstanding credit was of the order of Rs. 51 crores, Rs. 73 crores and Rs. 102 crores respectively.

(c) Banks have been endeavouring to facilitate the flow of credit to the small borrowers through simplification of their lending procedures, quick disposal of applications, relaxation in requirements of margins and security etc. District Credit Plans have been drawn up for all the lead districts also keeping in view the employment generation aspect of credit deployment. Recently, the public sector banks have been advised that by 1985 their priority sector advances should reach 40 per cent of their aggregate advances. It is expected that implementation of these measures will help the unemployed to take up an increasing number of self employment ventures in all the districts of Orissa as also of other States.

Lead and Zinc Deposits Fund in Rampura-Agucha Belt in Rajasthan

3659. **SHRI MANPHOOL SINGH CHAUDHARY:** Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large lead and zinc deposits have recently come to light at Rampura-Agucha belt in Rajasthan;

(b) whether any detailed exploration is proposed of the belt; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c). Yes, Sir. During the year 1979, Directorate of Mines and Geology, Government of Rajasthan, discovered a Lead-Zinc Prospect near Rampura-Agucha, District Bhilwara (Rajasthan). After completion of preliminary geological investigations, the Directorate of Mines and Geology commenced Surface Diamond Drilling and intersected rich Lead-zinc mineralisation about 60 metres wide with metal content of about 10 per cent Zinc and Lead.

The preliminary evaluation indicates that the prospect may have reserve potential of an order of about 35 million tonnes containing over 10 per cent zinc and lead upto 285 m. depth for over 1400 metres strike length. Hindustan Zinc Limited has received Mining Lease over an area of 12 sq. kms. The company has started detailed exploration of this prospect since February, 1980, and the work is in progress.

मृतक जमाकर्तारों की उत्तराधिकारियों द्वारा पूरी की जाने वाली औपचारिकताएं

3660. श्री अशोक गहलोत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मृत व्यक्तियों के बचत बैंक खाते में जमा धनराशि वापस करते समय राष्ट्रीयकृत बैंक उनके उत्तराधिकारियों से कठिन औपचारिकतायें पूरी करने का आग्रह करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन औपचारिकताओं का ब्यारा क्या है और प्रत्येक धनराशि के बारे में उत्तराधिकारियों से किस तरह की औपचारिकताएं पूरी करने के लिये कहा जाता है?

वित्त मंत्री (श्री आर. बेंकटरामन): (क) और (ख). सरकार द्वारा वर्ष 1975 में, बैंकों में ग्राहक सेवा विषयक एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था, जिसने यह सिफारिश की थी कि मृतकों के उत्तराधिकारियों/दावाकर्ताओं को मृतक-खाता में पड़ी शेष जमा राशि की अदायगी, वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना, परन्तु उपयुक्त स्थानीय जांच तथा पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र के आधार पर की जाए। इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पहले ही कहा जा चुका है। लेकिन दावाकर्ताओं द्वारा पूरी की जाने वाली औपचारिकताएं तथा इस प्रकार के किस हद तक के दावों को शाखा प्रबन्धकों द्वारा निपटाने की शक्तियां, अलग अलग बैंकों पर छोड़ दी गयी थीं। सामान्यतः इस प्रकार के 5000 रुपये तक के दावों को निपटाने का अधिकार शाखा प्रबन्धकों में निहित है। इस सम्बन्ध में पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं में भी एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्नता है, लेकिन कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र के बैंक निम्नलिखित औपचारिकताओं में से एक अथवा अधिक को लिए जोर देते हैं:

- 1) मृत्यु प्रमाणपत्र;
- 2) अदायगी के लिए आवेदन पत्र;
- 3) अन्तर्ग्रस्त राशि की अदायगी किए जाने के सम्बन्ध में किसी दावा, मांग, कार्यवाहियों, हानियों तथा नुकसानों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के बारे में जमानतदारों के साथ किये गए क्षतिपूर्ति सम्बन्धी करार;
- 4) उन व्यक्तियों से घोषणापत्र जिनको बैंक जानता है;
- 5) दो ऐसे मान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए शपथपत्र जिन्हें मृतक का परिवार

जानता है और उक्त शपथपत्र, नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा सत्यापित किया गया है;

- 6) सभी उत्तराधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित अधित्यागपत्र ;
- 7) सम्बन्धित पास बुक/अप्रयुक्त चेक फार्म।

जिन मामलों में दावेदारों द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते उनमें उपयुक्त सूचीबद्ध औपचारिकताएं पूर्ववर्ती शर्तों के रूप में आवश्यक हैं। इन औपचारिकताओं को पूरा करने में कोई ज्यादा खर्च नहीं लगता क्योंकि ये कागजात या तो सादे कागज पर अथवा कम खर्चीले स्टाम्प वाले कागज पर तैयार करने पड़ते हैं भविष्य में किन्हीं प्रतिदावों के सम्बन्ध में बैंकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कागजात आवश्यक समझे जाते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की फतेहपुरी स्थित शाखा में मृत व्यक्तियों के बचत बैंक खाते

3661. श्री अशोक गहलोत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मृत व्यक्तियों के उन बचत बैंक खातों की संख्या कितनी है जो भारतीय स्टेट बैंक की फतेहपुरी स्थित शाखा में अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) क्या उक्त शाखा के बैंक मैनेजर को ऐसे खाताधारियों के उत्तराधिकारियों को धन का भुगतान करने की विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इन विशेष शक्तियों के अधीन कितनी राशि निकाली जा सकती है;

(घ) उन खाताधारियों का ब्यारा क्या है जिनके उत्तराधिकारियों को बैंक मैनेजर द्वारा इस प्रयोजन के लिये उस दी गई विशेष शक्तियों के अन्तर्गत उस धन की वापसी की जा सकती है;